BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 01 सितम्बर, 2023 **थाना रामघाट**

चोरी का झूठा अभियोग पंजीकृत कराने वाला 01 अभियुक्त, शत प्रतिशत आभूषण, नकदी सहित गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 01-09-2023 को वादी महावीर प्रसाद पुत्र नन्नू सिंह निवासी ग्राम धारकपुर थाना रामघाट जनपद बुलन्दशहर ने थाना रामघाट पर सूचना दी कि गांव के ही एक नाबालिक लड़के द्वारा उसके घर के पीछे से नकब लगाकर ताला तोड़कर घर में रखे बक्से से नकदी व आभूषण चोरी कर लिये है। इस घटना के संबंध में वादी उपरोक्त की तहरीर के आधार पर थाना रामघाट पर मु0अ0सं0-97/2023 धारा 380/457 भादवि पंजीकृत किया गया।

उक्त घटना के क्रम में जांच/विवेचना के दौरान नाबालिक लड़के की नामजदगी गलत पायी गयी तथा यह तथ्य प्रकाश में आया कि वादी मुकदमा महावीर प्रसाद द्वारा अपने नाबालिक लडके(उम्र लगभग 10 वर्ष) के साथ मिलकर अपने पड़ोसी को फर्जी मुकदमें में फसांकर पैसा ऐंठने के उद्देश्य से उपरोक्त घटना को अंजाम दिया था। आज दिनांक 01-09-2023 को महावीर प्रसाद को गिरफ्तार किया गया तथा निशादेही पर शत प्रतिशत आभूषण, नकदी को बरामद किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी के संबंध में थाना रामघाट पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1- महावीर प्रसाद पुत्र नन्नू सिंह निवासी ग्राम धारकपुर थाना रामघाट जनपद बुलन्दशहर ।

बरामदगी-

1- 02 अंगूठी (पीली धातु), 01 पेंडिल (पीली धातु), 01 टीका (पीली धातु), 01 जोड़ी पाजेब (सफेद धातु), 01 चेन (सफेद धातु), 01 पेंडिल (सफेद धातु), 01 बच्चे की कन्धनी (सफेद धातु), 01 सिक्का (सफेद धातु)

2- 901 रुपये नकद

3- 01 मोबाइल

गिरफ्तार करने वाली कोतवाली देहात पुलिस टीम-

1- श्री नरेश कुमार थानाध्यक्ष रामघाट

2- उ0नि0 शीलेश गौतम

3- का0 गौरव कुमार

मीडिया सेल बुलंदशहर